भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3506

17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत

भारी उद्योग क्षेत्र के लिए योजनाएं

3506. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारी उद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकीय नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कोई प्रभावी योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के प्रभावों के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : भारी उद्योग मंत्रालय भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि स्कीम, चरण-II को कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य (i) एक सशक्त और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का निर्माण करना, (ii) प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टलों का उपयोग कर विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और नवाचार हेतु एक आत्मनिर्भर पारितंत्र सृजित करना, (iii) क्षेत्र के लिए मौजूदा जनशक्ति का संवर्धन और क्षेत्र के लिए अत्यधिक कुशल जनशक्ति की उपलब्धता का विस्तार करना, (iv) दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में उद्योग 4.0 हेतु स्मार्ट विनिर्माण को बढ़ावा देना और प्रासंगिक, मजबूत और किफायती प्रौद्योगिकियों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना और (v) पूंजीगत वस्तुओं के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रगतिशील स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना शामिल है। इस स्कीम का वित्तीय परिव्यय 1207 करोड़ रुपये है जिसमें 975 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता और 232 करोड़ रुपये का उद्योग अंशदान शामिल है।

(ख) : स्कीम के पहले चरण का तृतीय पक्ष मूल्यांकन श्री एस. चौधरी, निदेशक, आईआईटी-जोधपुर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया था। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि वर्तमान स्कीम से पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की प्रौद्योगिकीय और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को सीमित तरीके से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हालांकि, देश भर में पूरे पूंजीगत वस्तु उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए, वर्तमान स्कीम के स्तरोन्नयन से भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर वांछित प्रभाव पैदा होगा। तदनुसार, 25 जनवरी, 2022 को भारी उद्योग मंत्रालय ने "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि स्कीम, चरण-II" को अधिसूचित किया है

(ग) से (ङ) : वर्तमान स्कीम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(च) : प्रश्न नहीं उठता।

***